

प्रेषक,

उदय राज सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-47/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी-1 (सामान्य), दिनांक 23.02.2021 एवं पत्र संख्या-61/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी-1 (सामान्य), दिनांक 08.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष की गयी मांग रू0 90.34 लाख (रू0 नब्बे लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-803/11-2-2020-03(02)/2019, दिनांक 02.07.2020 द्वारा रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी थी।

3- अतः इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु रू0 40.34 लाख (रूपये चालीस लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि पूर्व में वर्णित योजनाओं की मूल स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-217/सा0/2015-11(2)-03(70)/2015, दिनांक 03.02.2015 एवं शासनादेश संख्या-341/11-02-2020-03(02)/2019, दिनांक 29.02.2020 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये।

5- निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2021 तक का वित्तीय व भौतिक प्रगति, फोटोग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....2

6- उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700-06-001-02-01-53 के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31.3.2020, शासनादेश सं0-370/09(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या 495/09(150)2019/XXVII (1)/2020, दिनांक 29.6.2020 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

संलग्नक- अलॉटमेंट आई0डी0

भवदीय,

(उदय राज सिंह)  
अपर सचिव।

संख्या:- 54) (1) / 11(02) / 2021-03(02) / 2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)  
संयुक्त सचिव।